# बिहार विधानसभा निर्वाचन 2015
## (आदर्श आचार संहिता कोषांग)

## सम्भावित आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बिन्दु

### 1) सम्पत्ति का विरूपण सरकारी (पोस्टर/बैनर/दीवारलेखन इत्यादि)

→ बिहार सम्पत्ति का विरूपण अधिनियम 1985 एवं यथा–संशोधित 2010 के आलोक में किसी भी सरकारी कार्यालय/कैम्पस पर विरूपण कटआउट, होडिंग, बैनर, झंड़े की अनुमति नहीं होगी । सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर, होडिंग, विज्ञापन हेतु नगर पालिका द्वारा चिन्हित स्थलों पर पूर्वानुमति से लगायें जायेंगे, परन्तु उसका खर्च राजनीतिक दल/अभ्यर्थी के लेखा में दर्ज किया जाना अनिवार्य है । साथ ही सभी विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता एवं कुल प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज होगा ।

### 2) निजी स्थलों/सम्पत्तियों का विरूपण निवारण

→ राजनीति दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निजी स्थलों, मकानों एवं सम्पत्तियों पर चुनाव प्रचार विज्ञापन सामग्री का प्रदर्शन किया जा सकेगा, परन्तु तीन दिनों के अन्दर स्वछिक अनुमति की फोटोप्रति संबंधित क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा ।

→ कोई भी व्यक्ति अपने निजी सम्पत्ति पर स्वेच्छा से बैनर, झंड़े लगा सकते है, परन्तु उन्हें भी इसकी अनुमति चुनाव अभ्यर्थी से लिखित रूप में प्राप्त करना होगा ।

→ दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति की प्रति माँगने पर नहीं दिखाने पर संबंधित उल्लंघन हेतु उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी की कार्रवाई की जाएगी तथा विरूपण निवारण का व्यय भी अभ्यर्थी के लेखा में जोड़ा जाएगा ।

### 3) वाहन से संबंधित आदर्श आचार संहिता नियम

→ प्रत्याशी अपने प्रचार अभियान हेतु किसी भी संख्या में वाहनों का प्रयोग कर सकते है, परन्तु इससे पूर्व निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है । निर्वाचन हेतु प्रयोग किए जानेवाले सभी वाहनों का परमिट/अनुमति जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा, जो पूरे जिला के लिए वैध होगा एवं निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिए जानेवाली अनुमति केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र में वैध होगी । मूल प्रति को वाहन के विंड स्क्रीन पर चस्पा किया जाएगा ।

→ किसी भी बिना परमिट के वाहन को जब्त कर लिया जाएगा ।

→ किसी भी काफिले में वाहनों की संख्या दस से अधिक होने पर काफिलों को इस तरह तोड़ा जाएगा कि एक काफिला में दस या दस से कम वाहन हो । काफिलों की बीच की दूरी कम–से–कम दो सौ मीटर होगी । उपर्युक्त अनुमति लेने के उपरान्त वाहन पर एक झंड़ा/बैनर/पोस्टर/प्लेकार्ड ही लगाना मान्य होगा ।

→ निर्वाचन के दिन अभ्यर्थी को कुल तीन वाहन प्रयोग करने की छूट होगी (एक स्वयं, एक चुनाव अभिकर्त्ता एवं एक पार्टी के सहयोगियों हेतु) ।

→ केवल दो, तीन एवं चार पहिये वाले वाहनों का प्रयोग किया जाएगा तथा किसी भी चार पहिये वाले वाहन में चालक सहित कुल पाँच व्यक्ति ही बैठ सकेंगे । वाहन की स्टैपनी पर भी प्रचार अवैध है ।

→ अभ्यर्थियों एवं चुनाव अभिकर्त्ता के वाहन का प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा ।

→ किसी भी वाहन पर किसी प्रकार का मोडिफिकेशन बिना पूर्वानुमति के नहीं किया जाएगा । सभा/जुलूसों में भी वाहनों की प्रयोग हेतु पूर्वानुमति ली जाएगी ।

→ नाम निर्देशन के दिन निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय की सौ मीटर की परिधि के अन्तर्गत कुल तीन वाहन ही प्रवेश कर सकते है तथा व्यक्तियों की संख्या कुल पाँच होगी ।

NIC की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु,
आदर्श आचार संहिता कोषांग → 18/9/15

→ किसी भी प्रकार का पायलट वाहन, सायरणयुक्त वाहन, वेकन लाईटयुक्त वाहन का प्रयोग अवैध होगा ।

→ निजी वाहनों के संबंध में वाहन मालिक स्टिकर, झंड़ा लगा सकते है, बशर्ते कि अभ्यर्थी/राजनीतिक दल की सहमति प्राप्त हो, अन्यथा आई.पी.सी. की धारा 171 –एच. के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी ।

→ हाथ रिक्शा भी एक वाहन है उससे भी प्रचार करने पर उसका खर्च अभ्यर्थी के लेखा में जोड़ा जाएगा तथा निर्वाची पदाधिकारी से पूर्वानुमति ली जाएगी ।

→ चुनाव के दिन चुनाव स्थल के दो सौ मीटर के दायरे में वाहनों का प्रयोग वर्जित होगा तथा मतदाताओं को मतदान हेतु वाहन उपलब्ध कराना अपराध है ।

→ वाहन पर अवैध शराब, अस्त्र–शस्त्र एवं किसी भी प्रकार के अवैध चुनावी प्रचार–प्रसार एवं सभी Unauthorized वाहनों की सघन जाँच की जाएगी एवं जब्त किया जाएगा ।

→ सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के संबंध में सुरक्षा या खुफिया एजेन्सी के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार की तरफ से एक बुलेट प्रुफ वाहन के प्रयोग की अनुमति होगी, परन्तु विकल्प के नाम पर कई वाहनों की रखने की अनुमति नहीं होगी, जब तक की सुरक्षा एजेन्सी द्वारा इसकी अनुशंसा नहीं हो । पायलट/स्कॉट हेतु सुरक्षा एजेन्सियों के निर्देशों का अनुपालन होगा, परन्तु ऐसे प्रतिबंध प्रधान मंत्री पर लागू नहीं होंगे जिनकी सुरक्षा सरकार की ब्लू बुक में है ।

→ विश्राम गृह, सरकारी डाकबंगले पर चुनावी बैठक एवं अन्य चुनाव संबंधी कार्य नहीं किए जायेंगे । आवासन प्राप्त व्यक्ति के साथ केवल कुल तीन गाड़ियाँ अन्दर आ सकेंगी । एक व्यक्ति अड़तालीस घण्टे से ज्यादा नहीं ठहरेगा एवं चुनाव सम्पाप्ति अड़तालीस घण्टे पहले तक ही आवासन दिया जा सकेगा ।

→ अभ्यर्थी को जुलूस के दौरान अपने वाहन पर एक झंड़ा/बैनर/पोस्ट/प्लेकार्ड लगाना अनुमान्य है ।

## 4) सभा/जुलूस से संबंधित प्रावधान

→ सभा/जुलूस का पूर्व से अनुमति लेना चाहिए ताकि प्रशासन/पुलिस उचित सुरक्षा एवं यातायात संबंधी व्यवस्था कर सके । सभा अथवा जुलूस बिना हथियार के तथा शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न होना चाहिए । अगर कोई निर्बन्धात्मक/प्रतिबन्धात्मक आदेश हो तो कड़ाई से पालन करना चाहिए । सभा/जुलूस हेतु लाउडस्पीकर/अन्य सुविधा की पूर्व अनुज्ञप्ति लेनी चाहिए । जुलूस का मार्ग/आरंभ एवं अन्त स्थल तय होना चाहिए, जुलूस सड़क की दाएँ ओर चलनी चाहिए ।

→ सभा/जुलूस के दौरान जातिये एवं सम्प्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना चाहिए । धार्मिक जातिगत भावनाओं पर वोट की अपील नहीं करनी चाहिए, साथ ही पूर्व से चल रहे तनाव एवं मतभेदों को भड़काना नहीं चाहिए । अन्य दलों के नेताओं की निजी जिंदगी पर आक्षेप नहीं करना चाहिए तथा बिना साक्ष्य के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए । आलोचना पार्टी की नीति, कार्यक्रम/पूर्व प्रदर्शन आधारित होनी चाहिए । दूसरे पार्टी के बैनर, पोस्टर विज्ञापनों को नष्ट नहीं करना चाहिए ।

→ किसी भी धार्मिक स्थलों/शैक्षणिक स्थलों पर सभा/जुलूस का आयोजन नहीं करना चाहिए ।

→ प्रत्याशी की फोटो या देवी–देवताओं की फोटो छपी किसी प्रकार के डायरी/कैलेण्डर/स्टिकर का मुद्रण एवं वितरण को रिश्वत माना जाएगा ।

## 5) लाउडस्पीकर से संबंधित आदर्श आचार संहिता नियम

→ रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रचार–प्रसार हेतु प्रयोग वर्जित है ।

→ धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं/अस्पातालों के आस–पास तथा मतदान केन्द्र के निकट प्रचार–प्रसार/लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित है ।

→ उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी भी सभा/जुलूस अथवा वाहन के उपर लाउडस्पीकर का प्रयोग अनुमण्डल पदाधिकारी के अनुमति से सुबह 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के मध्य किया जा सकता है ।

→ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा, अन्यथा सभी सामग्रियों को जब्त कर लिया जाएगा ।

**6) Corrupt Practices से संबंधित एवं विविध आदर्श आचार संहिता नियम**

→ मतदाताओं को चुनाव में डराना, धमकाना, रिश्वत देना, किसी खास दल/अभ्यर्थी को वोट देने हेतु प्रेरित करना मतदान के चौबीस घण्टे के अन्दर शराब, वस्त्र या अन्य वस्तु का वितरण, किसी भी प्रकार का Impersonation, मतदान की गोपनीयता को भंग करना, मतदान अधिकारियों से असहयोग, झगड़ा आदि करने पर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 से 136 के अन्तर्गत तथा आई.पी.सी. के धारा 171 (ख से ज तक) के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई किया जा सकेगा ।

→ कोई भी मंत्री/नेता किसी प्रकार का नया शिलापट्ट का उदघाटन, नई योजना की घोषणा, मतदान स्थल पर विचरण, सरकारी गाड़ी एवं सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग नहीं करेगा ।

→ मतदान स्थल से दो सौ मीटर की दूरी पर मतदान अभिकर्त्ता दो कुर्सी, एक टेबुल, एक तिरपाल, एक बैनर (3X4.5) का लगा सकते है । चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव कार्यालय हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे तथा किसी भी सार्वजनिक स्थल का अनाधिकृत रूप से चुनाव कार्यों हेतु प्रयोग नहीं करेंगे । चुनाव/अभ्यर्थी का कार्यालय पर सिर्फ एक झंड़ा और बैनर (4X8 फीट) लगाये जा सकेंगे । कोई अतिक्रमण कर कार्यालय नहीं खोला जा सकेगा ।

→ मतदान स्थल पर वोटर स्लिप का वितरण दो सौ मीटर के दायरे के बाहर करेंगे, परन्तु सादे वोटर स्लिप पर किसी प्रकार का कोई चुनाव चिन्ह या मतदान अपील नहीं होना चाहिए । चुनाव कैम्प में खाद्य पदार्थ के वितरण पर रोक है ।

→ चुनाव प्रचार के बाद कोई बड़ा नेता/मंत्री विधानसभा क्षेत्र छोड़ देंगे अगर वे इस क्षेत्र के मतदाता न हो । जिस व्यक्ति को सुरक्षा संबंधी Threat हो वह भी मतदान केन्द्र पर अपने सुरक्षा बलों के साथ प्रवेश नहीं करेंगे । चुनाव स्थलों पर कोटपा कानून के अन्तर्गत धूमपान निषेध होगा तथा मोबाईल का प्रयोग वर्जित होगा ।

→ Social Media के माध्यम से भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन अवैध है ।

**नोट –** संविधान की अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता के अनुश्रवण हेतु चुनाव आयोग द्वारा प्रेक्षकों की नियुक्ति की जाती है । अतः राजनीतिक दल/अभ्यर्थी/मतदाताओं द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत प्रेक्षक/जिला निर्वाचन पदाधिकारी/आदर्श आचार संहिता कोषांग में किया जा सकता है । सभी आदर्श आचार संहिता संबंधित पूर्वानुमति हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है ।